अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

राजस्व अपील वाद संख्या 264 / 2013

मो० याहिया –– अपीलार्थी

वनाम

गुलाम रब्बानी एवं अन्य –– रेसपोन्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद मो० याहिया पे० स्व० यूनूस मियाँ सा०– वीरपुर, थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, वीरपुर, द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः–20 / 11 मो० याहिया बनाम गुलाम रब्बानी वगैरह में दिनांकः 14.02.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में यह कथन है कि मौजा–वीरपुर अन्तर्गत, खाता पुराना– 124, खेसरा पुराना– 653 नया– 1306, 1307, रकवा– 0.1.6 (एक कट्ठा छः धुर) जमीन अपीलार्थी को केबाला संख्या– 1074 / 2008 द्वारा प्राप्त है, इसका जमाबंदी प्रार्थी के नाम कायम है जिसका जमाबंदी संख्या–2828 है। मौजा–वीरपुर अंतर्गत ही खेसरा पुराना–653, खेसरा नया– 1305 से तीन डीसमल जमीन केबाला द्वारा अपीलार्थी के लड़का मो० एकबाल के नाम से खरीदगी है। बाद खरीदगी के अपीलार्थी उपरोक्त जमीन पर दखलकार होकर भोग चलन करने लगे। बिहार सरकार के सिरिस्ते में अपना नाम दर्ज कराये जिसका जमाबंदी संख्या–2829 अपीलार्थी के पुत्र के नाम कायम है। खेसरा पुराना–653 ताके खेसरा नया–1310, 1311 से 10 धूर जमीन नूरहसन से संतलाल को खरीदगी है। संतलाल द्वारा उक्त जमीन गुलाम रब्बानी के हाथ से फरोक्त कर दिया। अपीलार्थी के पुत्र के नाम खरीदगी जमीन के पश्चिम में सड़क है तथा उत्तर से दक्षिण मोहरा–65 कड़ी है। अपीलार्थी के जमीन के उत्तर नसरी को तीन धूर चार धुरकी सदीक मियाँ से खरीदगी जमीन है।सड़क के किनारे अपीलार्थी के पुत्र के नाम खरीदगी जमीन के उत्तर से दक्षिण मोहरा 65 कड़ी है। अपीलार्थी के जमीन के उत्तर नसीर को तीन धर चार धुरकी सदीक मियॉ से खरीदगी जमीन है, इसका केबाला संख्या–6440 / 1974 ई० है। यह 3 धूर 04 धुरकी जमीन नसीर की पत्नी वसीरन अपने वसोवास जो

दो कट्ठा में कायम है। सड़क से जमीन पर जाने के लिये खरीदा था। अपीलार्थी की जमीन से नसीर की पत्नी बीवी वसीरन को कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। इसी प्रकार गुलाम रब्बानी, रज्जानी को न तो आवेदक की जमीन से कोई मतलब है और न ही वसीरन विपक्षी की जमीन से ताल्लुक है। विपक्षी अब्दुल रहमान अपीलार्थी से मात्र 9 धूर जमीन खरीद किया है। 9 धूर जमीन पर अपीलार्थी द्वारा अब्दुल रहमान विपक्षी को दखल दे दिया गया। अब्दुल रहमान द्वारा अपीलार्थी के 11 धूर जमीन पर दावा किया जाना बिल्कुल गलत है। प्रार्थी अपीलार्थी अपनी जमीन वसीरन की जमीन का सीमांकण कर विवाद का निपटारा करने के लिए भागता फिरता है, साथ ही अपीलार्थी के जमीन के अन्दर किसी अंश पर विपक्षी का कब्जा होता है तो उक्त जमीन का कब्जा अपीलार्थी को दिलाए जाने की मांग करता है।

संक्षप में मामला यह है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बीरपुर के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या 20/2011 मो0 याहिया बनाम गुलामरब्बानी वगैरह में दिनांक 20.09.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में भूमि विवाद अपील वाद संख्या 196/2011 दायर किया गया था जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बीरपुर को वाद की पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया था। उक्त आलोक में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बीरपुर द्वारा उक्त वाद में दिनांक 14.02.2013 को आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2013 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएवं अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा